प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 06 दिसम्बर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2021/2384, दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है:-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय। यद्यपि वास्तविक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। तद्नुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
iv. जहॉ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
v. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण पाया गया।
vi. शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, जी0 एस0 मेडिकल

कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़, के0 डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा, श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा, वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहॉपुर तथा नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ में एम0 डी0/एम0 एस0 पाठ्यक्रम प्रथम बार प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः इन कालेजों के लिए भी शुल्क का आगणन अन्य सभी एम0 डी0/एम0 एस0 संचालित कालेजों के शुल्क के औसत के आधार पर किये जाने का विनिश्चय किया गया।

टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में केवल नॉन क्लीनिकल विषय के पाठ्यक्रम संचालित हैं। दिनांक 22.10.2021 को आयोजित समिति की बैठक में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा नॉन क्लीनिकल विषय का शुल्क, पूर्व निर्धारित शुल्क को ही यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार नॉन क्लीनिकल विषय का शुल्क यथावत रखे जाने का विनिश्चय किया गया।

vii. समिति द्वारा पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों के संदर्भ में नीट यू0 जी0 परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों द्वारा कालेजवार प्राप्त औसत अंको का भी संज्ञान लिया गया है। कालेजवार प्राप्त औसत अंकों को ***Standardise*** किया गया है।

viii. इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा बैलेंस सीट में दी गयी विभिन्न सूचनाओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अनुमन्यता से अधिक खर्च यथा वेतन मद में अधिक वृद्धि बैलेंस सीट में अधिक ब्याज, अवमूल्यन आदि अमान्य खर्चों को disallow करते हुए बैलेंस सीट को वेटेज प्रदान किया गया। एम0 डी0/एम0 एस0 के सन्दर्भ में शासनादेश दिनांक 09.03.2019 एवं शासनादेश दिनांक 31.08.2020 द्वारा निर्धारित फीस तथा अमान्य खर्चों को disallow करने के पश्चात् बैलेंस सीट के आधार पर फीस का आगणन करते हुए दोनों के शुल्क में आ रहे अन्तर को भी ***Standardise*** किया गया है। कालेजवार ***Standardise*** औसत नीट स्कोर एवं ऊपर उल्लिखित ***Standardise*** शुल्क के अन्तर को जोड़कर कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर निकाला गया है। कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर के आधार पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले कालेजों के बीच 8 प्रतिशत, जो अधिकतम है, को स्टेटिस्टिकल नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आवंटित किया गया है।

ix. कालेजों में सभी प्रकार की सुविधाओं के उन्नयन एवं उच्चकोटि की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से ***Quality Council Of India*** द्वारा प्रदान किये जाने वाले ***NABH (National Accreditation Board For Hospitals & Healthcare Providers)*** प्रमाण पत्र धारक कालेजों को, निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में 01 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त लाभ दिये जाने का विनिश्चय किया गया।

x. बिन्दु-(viii) एवं (ix) के आधार पर कालेजवार प्राप्त हो रहे प्रतिशत के अनुरूप शुल्क की वृद्धि किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कालेजों के

प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0)पाठ्यक्रम हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

.क्र.सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रूपए में)		
		क्लीनिकल	पैथोलॉजी	नॉन क्लीनिकल
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बरेली।	25,09,957	13,51,477	9,65,384
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा। (शारदा विश्वविद्यालय)	25,40,649	13,68,025	9,77,116
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	14,43,744	10,80,000	8,64,000
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	25,24,901	13,59,562	9,71,116
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	23,23,197	12,50,889	8,93,521
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, हापुड़।	20,22,143	10,88,846	8,45,377
7	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली	23,09,009	12,43,216	8,88,056
8	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, वाराणसी।	21,12,517	11,37,509	8,35,482
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	21,35,358	12,37,024	8,83,589
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, सीतापुर।	20,40,950	10,98,973	8,20,359
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	20,30,961	10,93,571	8,18,235
12	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	20,74,900	11,17,300	8,00,000
13	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़	20,63,010	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
14	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	आवश्यकता नहीं	11,11,700	8,00,000

15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
16	जी0 एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
17	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मेरठ। (एम0 एस0 वाई0 मेडिकल कालेज, मेरठ)	आवश्यकता नहीं	12,02,199	8,80,186
18	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
19	वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	21,63,946	12,02,199	8,80,186
20	श्री वैंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़,गजरौला, अमरोहा।	21,63,946	12,02,199	आवश्यकता नहीं
21	के0 डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0 डी0/एम0 एस0) में शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. <u>छात्रावास शुल्क-</u>

(ए) नॉन ए0 सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 2,50,000 प्रतिवर्ष।

(बी) ए0 सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 3,00,000 प्रतिवर्ष।

(सी) नॉन ए0 सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।

(डी) ए0 सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 2,10,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. <u>सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-</u>

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 5,00,000 (एक बार)।

3. <u>विविध शुल्क-</u> रू0 1,28,400 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:12:20
Reason: Approved

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं तद्दिनांक तदैव</u>

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चैराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव